



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 30.03.2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत निरीक्षण कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 30.03.2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत परिसर एवं मंदिर आने वाले समस्त मार्गों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा, पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त सुरक्षा श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी, पुलिस उपायुक्त यातायात श्री हृदेश कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री चन्द्रकान्त मीना, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात श्री राजेश कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, के0वी0एम0 कन्ट्रोल रूम व मंदिर आने वाले समस्त मार्गों का पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित सभागार में गोष्ठी आयोजित कर निम्न दिशा-निर्देश दिये गये, जो निम्नवत है-

No Touch Policy-

1. दर्शनार्थियों को पुलिसकर्मी हाथ से धक्का न दें। पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी दशा में महिला श्रद्धालु को टच न करें।
2. भीड़ नियंत्रण हेतु रस्सो का प्रयोग करें।
3. गर्भगृह में श्रद्धालुओं को दर्शनोपरांत शालीनतापूर्वक हटाने के लिये महिला पुलिसकर्मी व मंदिर प्रशासन की तरफ से नियुक्त महिलाकर्मी का प्रयोग करें।

4. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाये। यही व्यवस्था घाटो पर लागू हो।

Briefing-

1. वरिष्ठ अधिकारी दिन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का कम से कम दो बार भ्रमण कर पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग करे व उनको श्रद्धालुओं को भीड़ की भांति ट्रीट न करते हुए मेहमान की भांति उनसे व्यवहार करने हेतु प्रेरित करें।
2. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सहायता एवं सहयोग हेतु ड्यूटी में लगे हुए समस्त पुलिस बल की साफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराई जाये।

अन्य निर्देश-

1. मंदिर के गेट नं0 2 की तरफ आने वाली गलियां बहुत संकरी है अतः वहां पर एकल लाइन में श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जाये इन संकरे रास्तो में दूसरी लाइन न बनने दे ना ही इन रास्तो में श्रद्धालुओं की वापसी होने दे वापसी के लिये अन्य मार्ग निर्धारित करें।
2. दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के गोदौलिया फुटपाथ पर से तत्काल अतिक्रमण हटाया जाये।
3. घाटो पर शराब/मादक पदार्थों का सेवन करने वाले तत्वों को जेल भेजा जाये।
4. घाटो या अन्य स्थानों के मंदिर के ऊपर से ड्रोन उड़ाने वाले तत्वों पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजे व उनका ड्रोन जब्त करें।
5. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ड्यूटी में लगे समस्त पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान पहचान पत्र अनिवार्य रूप से धारण करें।
6. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरन्तर निगरानी किया जाये।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।**



